

भारत और पाकस्तान द्वारा कैदियों की सूची का आदान-प्रदान

स्रोत: द द्रिष्टि

हाल ही में **भारत और पाकस्तान** ने नई दलिली तथा इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हरिसत में बंद नागरिक कैदियों एवं मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया।

- **कॉन्सुलर एक्सेस 2008 पर द्वपिकषीय समझौते** के प्रावधानों के तहत ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान **प्रतविरष 1 जनवरी और 1 जुलाई** को किया जाता है।
 - **समझौते की धारा 4** में कहा गया है कि दोनों देशों की सरकारों को दूसरे देश के नागरिकों को उनकी गरिफ्तारी, हरिसत या कारावास के **तीन महीने के भीतर कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करना होगा**।
 - समझौते की **धारा 5** में यह प्रावधान है कि **दोनों सरकारों को व्यक्तियों की राष्ट्रियता की पुष्टि** होने और उनकी सज़ा पूरी होने के एक महीने के भीतर उन्हें रहि करना होगा तथा वापस भेजना होगा।
- भारत सरकार ने पाकस्तान की हरिसत से नागरिक **कैदियों, मछुआरों, उनकी नौकाओं** तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रहिई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है।

और पढ़ें: **भारत और पाकस्तान**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-and-pakistan-exchange-list-of-prisoners>